कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767011

पत्रांक- 1015 /12-1 देहरादूनः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः-माननीय मुख्यमंत्री घो०सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 है० तक वन भूमि का लोक निर्माण को गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/20005/2016)

संदर्भः-भारत सरकार पर्यावरण एवं परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/59/2021/एफ०सी०/95 दिनांक 22-04-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 995/12-1 (2) दिनांक 06-10-2023 के द्वारा भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	प्रतिउत्तर
1	The details of the road and muck disposal provided at para B2.4 in para I is found incorrect State Govt. may provide the correct information in this regard at component wise breakup at para B 2.4.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग की डिटेल एवं muck disposal से सम्बन्धित सूचना आनलाईन Para B2.4 in para I में अपलोड कर दिया गया है।
2	State Govt. may mark the location of the beneficiary villages in the KML file. Further the village at end point are already connected with the road. In this view, State Govt may examine the proposal and if needed submit the revised proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा KML file में लाभान्वित गाँवों की लोकेशन मार्क कर दी गई है। दाड़िमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग के किमी 02 में कन्यालीकोट ग्रामसभा का तोक स्यालढुँगा पड़ता है जिसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। इनका मुख्य बाजार बागेश्वर पड़ता है। कन्यालीकोट में इण्टर कालेज है तोक स्यालढुँगा के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए 3.00 किमी० पैदल चलकर इण्टर कालेज कन्यालीकोट आते है। उक्त तोक के ग्रामवासी सड़क के अभाव में कृषि चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है एवं ग्राम वासियों का पलायन हो रहा है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्यालढुँगा तोक हेतु नितान्त आवश्यकता है।
3	Village Level Committee (VLC) meeting proceedings of Darimkhet and Kanyalikot not found uploaded. State Govt. may upload the VLC meeting proceedings of Darimkhet and Kanyalikot village at para K in para I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम नैकाना खुमटिया (दाड़िमखेत) की (VLC) पूर्व में अपलोड कर दी गई है। ग्रामसभा कन्यालीकोटर की (VLC) आनलाईन Para K in para I में अपलोड कर दी गयी है।

4	Land schedule ia taken as 9m. State Govt. may verify whether tree counting is done in 7m or 9m width.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव 9 मी0 में गठित किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण 7 मी0 में किया जायेगा एवं वृक्षों की गणना भी 07 मी0 में की गयी है। मार्ग निर्माण मे कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
5	State Govt. may submit/upload the enumeration list of trees falling in 0-30cm and 30-60cm, which is not submitted.	The enumeration list of trees falling in 0-30 cm and 30-60 cm has been uploaded online and hard copy is being attached. **(संलग्नक–1)**
6	In NPV calculation sheet, the density is mentioned for forest but rate charged for MDF. State Govt. may clarify and submit the correct information/document in this regard.	The NPV calculation sheet has been modified as per forest density and uploaded in online Part-II And hard copy is being attached. **(संलग्नक–2)**
7	It is seen from the muck disposal plan that 33285cum muck out of 34125 total muck proposed to be utilized which seems not correct, further, swell factor calculation is done for balance material instead of total muck. State Govt. is requested to examine the muck disposal plan and submit the same with detailed study duly authenticated by the concerned DFO.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि मक डिस्पोजन प्लान पुनः गठित कर दिया गया है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

20/11/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या– 1014 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून